

R 3009
3/30

10718
2529
54

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
सिविल जज, जूनियर डिवीज़न, शहर,
वाराणसी।

1-8-2000

13-7-2000

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

Req-
48-1000

द्वारा:- श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषय:- गृह निर्माण अग्रिम के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय
द्वारा प्राप्ति पर ब्यौरो प्लॉट के कागज़ात के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के गृह निर्माण अग्रिम सम्बन्धी प्रार्थना पत्रको पंजीकृत कर लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से प्रेषित पत्रांक 7843/IV-2529/Admn.(A) दिनांकित 24.5.2000 इलाहाबाद द्वारा खरीदे जाने वाले प्लॉट का ब्यौरा व कागज़ात प्रेषित करने को कहा गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 2.3.2000 तथा ~~द्वारा~~ प्रेषित एक अन्य प्रार्थनापत्र दिनांकित 19.4.2000 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भवन निर्माण अग्रिम धनराशि प्राप्त होने के बाद ही प्लॉट/मकान का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जा सकेगा। बिना भवन निर्माण अग्रिम राशि स्वोकार हुए प्रार्थी द्वारा मकान हेतु प्लॉट का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी भवन निर्माण अग्रिम राशि प्राप्त होने पर प्लॉट की तलाश कर यथाशीघ्र माननीय न्यायालय को सूचित करेगा।

अतः श्रीमान्जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित कीजिए रहो उपरोक्त सूचना को स्वोकार किया जाये और गृह निर्माण हेतु धनराशि स्वोकार किए जाने की कृपा की जाये।

सादर।

भवदीय,

Ashok Kumar Yadav
27.6.2000

अशोक कुमार यादव

सिविल जज, जूनियर डिवीज़न, शहर,
वाराणसी।

दिनांक: 27.6.2000 ई०.

2793
S.O. Admn H/A

DR(M)

12.7.2000

DR(M)

11 JUL 2000

वाराणसी ज.आ.श.प.

9021E

दिनांक - 28.6.2000

अग्रसारित

जला न्यायाधीश
वाराणसी।

Registered / By Fax

From:

Sri
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Recd-123

To,
The District Judge,

Kanpur-Dehat

TODAY

No. 4805 / IV-2529 / Admn. (A) Dated: 23-3-2002

Subject: Sanction of Motor Car Advance to Sri Ashok Kumar Yadav, Aeldl. C.J.M., Kanpur-Dehat

Sir,

I am directed to send herewith an attested copy of Court's order dated 23.03.02 sanctioning Rs. 80,000/- as Motor Car Advance to Sri Ashok Kumar Yadav, Aeldl. C.J.M., Kanpur-Dehat

for purchase of car. The Officer may kindly be asked to furnish the voucher Number, date of drawal of the amount and name of the Treasury to the A.G.U.P., Allahabad, under intimation to the Court. He should also be ^{asked to} send requisite papers as asked for in the Court's Order referred to above, to the Court at an early date.

Yours faithfully,

Koodand
23.3.02

Deputy Registrar

Encl: As above

No. 4806 / IV-2529 / Admn. (A) Dated: 23-3-2002

Copy, alongwith an attested copy of the Court's order dated 23.03.02, forwarded for information and necessary action to :-

1. The Deputy Secretary, Vitta (Aya-Vyayak) Anubhag-3, Uttar Pradesh Shashan, Lucknow.
2. The Accounts Officer, G.E. (Loans) Section, A.G. (A&E) - II, U.P., Allahabad.
3. The Treasury Officer, Kanpur-Dehat. (By Regd. post).
4. Sri Ashok Kumar Yadav, Aeldl. C.J.M., Kanpur-Dehat

By order,

Koodand
23.3.02
Deputy Registrar

Enclosure: As above DR(M)

order placed below.

May issue?

AK-Sivali

23/3/02

smh

Yes
Koodand
23.3.02
DR(M)

DR Koodand
23.3.02

To
The District Judge
Varanasi

Reg-123

50

No. 7843 /IV- 2529 /Admin(A) /Dated 24-5-2000

Subject - Sanction of house building advance
to Sri. Ashok Kr. Yadav, Addl. Civil
Judge (Jr. Div.), Varanasi.

Sir,

With reference to your a/c no. 507/XV
dated 20.4.2000 on the above subject, I am
directed to say that Sri. Ashok Kr. Yadav,
Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi may
kindly be asked to furnish the details
and papers of the plot intended to be
purchased from the amount of house
building advance, as asked for in the
Court's letter no. 4907 /IV - 2529 /Admin(A)
dated 4.4.2000, without which it will not
be possible for the Court to consider his
case for sanction of house building
advance.

Yours faithfully



22.5.2000

Dy. Registrar

D.R.(M)

May issue?

Ch. Sainwal

20.5.2000

R. K. Sharma

22.5.2000

Registered

To,

The District Judge
Kanpur - Dehat

Recd-123

64
No. 9626 / IV - 2529 / Admin (A) / dt. 19.7.2002

Subject: - Grant of ~~for~~ three months time to utilise the amount of motor car advance by Sri Ashok Kumar Yadav, Addl. C.J.M., Kanpur - Dehat.

DR (M)

~~Order~~ placed below.
May issue?
AK Sivarajan
11-7-2002

Sir,

With reference to your endorsement no. 204/XV / dated 23.4.2002 on the above subject, I am directed to say that the Court has been pleased to ~~allow~~ ^{grant} three months time to Sri Ashok Kumar Yadav - Addl. C.J.M., Kanpur - Dehat for purchasing the car as requested by him. Sri Yadav may kindly be informed accordingly.

DR Kumar
15.7.02
KMP/15/7/02
yes
V. Prasad
16.7.2002
JDM

Yours faithfully

V. Prasad
16.7.2002
By: Reg.

6/5/02

Register No. 6990
File No. IV/2529
Serial No. 63

6/5/02

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
ए.सी.जे.एम.कोर्ट सं-2,
कानपुर देहात।

22-5-02

6/5/02

सेवा में,

श्री कैलाश प्रसाद,
डिप्टी रजिस्टार, माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

Reg-123

द्वारा, श्री मानु जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

विषय:- मोटर कार क्रय करने हेतु 4 माह का और समय दिव्य जेन के संबंध में

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय

इलाहाबाद के पत्र संख्या 4885 /चार-1529/ स्वीमन एंड /दिनांक 23-3-02 द्वारा 80 हजार रुपया मोटर कार ऑगुम के रूप में प्रदान किया गया है जिसे प्रार्थी ने अपने खाता संख्या 01190044856 स्टेट बैंक आफ इण्डिया कानपुर में जमा कर दिया है। जिसका वाउचर नम्बर बी 20140088 दि 27-3-02 है। प्रार्थी को पदस्त धारणा में पुरानी अथावा नयी मोटर कार मिल पाना सम्भाव नहीं है। प्रार्थी को और रूपयो की व्यवस्था करना है। प्रार्थी को सरकारी आवास उपलब्ध न हौन के कारण प्रार्थी का रु 6500/- रुपया प्रति माह किराये में छार्व हो रहा है और अभी राज्य सरकार द्वारा किराया वापस भी नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी अभी मोटर कार क्रय नहीं कर पा रहा है। निकट भविष्य में प्रार्थी को राज्य सरकार से किराया वापस हौन की पूर्ण उम्मीद है। प्रार्थी को मोटर कार क्रय करने हेतु कम से कम 4 माह के समय की आवश्यकता है।

अतः श्री मानु जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को मोटर कार क्रय करने हेतु कम से कम 4 माह का समय प्रदान करने की कृपा की जाये।

भावदीय

Ashok Kumar Yadav
23/4/02

अशोक कुमार यादव
ए.सी.जे.एम.कोर्ट सं-2,
कानपुर देहात।

दि 23-4-02

संलग्नक:- वाउचर नम्बर,

2158
S-O. Acharya H/A-1

D. R. (M)
3-5-2002

श्री ला श्री वापस देहात
पत्रांक - 204/XV
दिनांक - 23-4-02.
आगत (साहित)

मानपद न्यायाधीश
कानपुर देहात

AKS.
23/5

DDO RECONCILIATION STATEMENT

DDO CODE : 1025 DDO ALPHA : SRI ASHOK KUMAR YADAV,,A.C.J.M.COURT NO-2
KANPUR DEHAT


DDO Bill Sr.No.	Voucher Number	Voucher Date	Plan/ Nonplan	Account Code	Head Grant No.	Gross Amount	Total Deduction	Net Amount	Cheque No.	Cheque Amount
73B	A20140015	01-MAR-2002	N	201400108030001	042	18555.00	12198.00	6357.00	AD0584969	6357.00
900	B20140088	27-MAR-2002	N	761000202030030	061	80000.00	0.00	80000.00	AD0588202	80000.00
MONTH TOTALS FOR DDO 1025 -->						98555.00	12198.00	86357.00		86357.00

Endst. No.
SRI ASHOK KUMAR YADAV,,A.C.J.M.COURT NO-2
KANPUR DEHAT

Dated :

1. Kindly verify the above three copies of statements of drawls of the month. If there is any discrepancy, variation there are additional drawls besides the above drawls, the same may be reported in the verification note endorsed on this very paper, besides reporting separately by a confidential demi-official letter.
2. The receipts of both the copies of the verified statements and of this above mentioned demi-official letter, must be obtained from the treasury and kept in record.

Please treat this matter important & urgent.


Treasury Officer
KANPURDEHAT

..... Treasury Officer, KANPURDEHAT

1. Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the following ones which have not been made by me.
 - (1)
 - (2)
 - (3)
2. Besides the above the following are also the drawals by me during the month which have not been shown in the statement:-
 - (1)
 - (2)
 - (3)

D.D.O.
Name
Designation
Office
Place

NOTE : - Strike off the portions not applicable

8-5-2000

Reg-127

19-5-2000

प्रेषक,
श्रीक कुमार यादव,
प्रथम अपर सिविलजज,
प्लॉड डि० वाराणसी।

सेवा में,
श्रीमान निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

7808
12/2529
48
17-5-2000

द्वारा
श्रीमान जनपद न्यायाधीश
वाराणसी।

विषय :- गृह निर्माण अग्रिम के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय
द्वारा माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,
विन्धु निवेदन है कि प्रार्थी के गृह निर्माण अग्रिम सम्बन्धित प्रार्थनापत्र को पंजीकृत कर लिया गया है तथा प्रार्थी से तीन विन्दुओं पर सूचना / कागज दिये जाने का आदेश हुआ है।

1. उस मकान के बारे में अथवा प्लॉट के बारे में जो क्रय किया जाना है, इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा म्य अग्रिम धनराशि।
2. पंजीकृत करार / बैनामा / कटवारा विलेख / पारिवारिक समझौता / आवंटन आदेश सम्बन्धी सत्यापित प्रति।
3. सरकारी कर्मचारी आवरण नियमावली 1956 की धारा 24(1) के अनुमालन के सम्बन्ध में।

S.O. Acharya H/A

9-5-2000

प्रार्थी द्वारा गृहनिर्माण अग्रिम के लिये जो प्रार्थनापत्र दिया गया है उसके पैरा 7 तथा 8 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्लॉट का करार पंजीकृत होते ही प्लॉट / मकान का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। प्रार्थनापत्र के पैरा-6 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अग्रिम धनराशि मु० 3,50,000/- रुपये प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही है। वह भूमि खरीदने व मकान बनवाने हेतु मांगी जा रही है म अग्रिम धनराशि प्राप्त होने पर उसका उद्योग तीन माह में किये जाने की संभावना है। यह तथा प्रार्थनापत्र के पैरा-9 में लिखा गया है। अभी तक न तो जमीन का अथवा मकान का कोई बैनामा हुआ और न ही क्रय करने का करार हुआ है। विन्दु नंबर-3 उपर्युक्त के संदर्भ में कोई सूचना इस स्तर पर दिया जाना प्रार्थी द्वारा संभव नहीं है क्योंकि अभी अग्रिम धनराशि स्वीकृत नहीं हुयी है और अग्रिम धनराशि स्वीकृत होने पर जमीन क्रय की जायेगी और बिन्दु स०3 तभी लागू होगा। यदि अग्रिम धनराशि प्राप्त होने के पूर्व प्रार्थी द्वारा कोई मकान अथवा भूमि क्रय किया जायेगा तो अविलम्ब इसकी सूचना माननीय न्यायालय को दी जायेगी।

10

22/5/00

08 MAY 2000

AKA Re 2/5

Reg-123

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित की जा रही उपर्युक्त सूचना को स्वीकार किया जाय और उसके द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र में वर्णित गृह निर्माण अग्रिम धनराशि दिलायी जाने की कृपा की जाय।

" सादर "

दिनांक - 19.4.2000

भवनिष्ठ,

Ashok Kumar Yadava


19.4.2000

श्री आशोक कुमार यादव

प्रथम अपरसिविल जज जू.फि
वाराणसी।

वाराणसी ज.आ.श.प.
507/XV दिनांक 20.4.2000

अप्रकारित


जिला न्यायाधीश
वाराणसी।

From,

Sri
Dy. Joint Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Req-123

To,

148 The District Judge,
4907 Varanasi

No. /IV- 2529/Adm(A) Dated: Allahabad: 6.11.2000, 1996

Subject:- Grant of House Building Advance to sri Ashok Kumar Yadav
Addl. Civil Judge (T.S.), Varanasi.

Sir,

With reference to your ~~letter~~/endorsement No. 283/I
dated 3.3.2000 on the above subject, I am directed to say that
application of sri Ashok Kumar Yadav, Addl. Civil Judge (T.S.), Varanasi
has been registered for grant of House Building Advance and it shall
be taken up for consideration on allotment of funds by the
Government on the basis of 'First Come first served'. In the
meantime, sri ... Yadav may kindly be asked to
furnish the following informations/papers to the Court so, that

- further necessary action may be taken in the matter:-
1. Details of the House intended to be purchased of the details of the plot of land on which house is proposed to be constructed with the ~~xxx~~ amount of advance.
 2. An attested copy of Registered Agreement/Sale deed/Partition Deed/Family Settlement/Allotment order.
 3. Whether he has complied with the provisions of Rule 24(1) of Government Servants Conduct Rules 1956 in respect of the immovable property acquired or proposed to be acquired.

Yours faithfully,

[Signature]
Dy. JOINT REGISTRAR. 29/3/2000

D.R. (m)

May issue?

Acs. Sivastava
28.3.2000

Verma/-

R. Kumar
28.3.2000

Yes!

[Signature]
D.R. (m)
29/3/2000

M
10:15 Am
1562

Req-123

V-3-2000

श्रीम. कुमार यादव,
प्रथम अपर सिविल जज जू० डि०
वाराणसी।

DR(M)

सेवा में,

Drapp. the application may
be registered at the
359 on the date of
27.3.2000 & the officer
may be informed?

श्रीमान निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

4198
2529
Serial No. 41

27.3.2000 द्वारा,

yes! 22/3/2000

15-3-2000

Ruma

27.3.2000

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषय :- गृहनिर्माण अग्रिम के लिये अग्रिम धनराशि रुब/ 3लाख 50,000/-
रु० स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

1041
S.O Adm. M/A

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उ० प्र० न्यायिक सेवा में लगभग
8 वर्षों से कार्यरत है। प्रार्थी का पूर्वजि मकान ग्राम देवा राकदीम पोस्ट
महराजगंज जिला आजमगढ़ में है। प्रार्थी का कोई मकान शहर में नहीं है।
प्रार्थी अपने परिवार के रहने तथा बच्चोंकी शिक्षा व चिकित्सा
व्यवस्था हेतु जनपद आजमगढ़ मुख्यालय पर मकान बना कर रहना चाहता
है।

अतः श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को जमीन क्रय करने
तथा मकान बनाये जाने हेतु रुब/ 3लाख 50,000/- रु० गृह निर्माण
अग्रिम धनराशि दिलाये जाने की कृपा की जाय।

वाराणसी अ. न. न.

क्रमांक 283 / I दिनांक 3.3.2000

अप्रसारित

जिला न्यायाधीश
वाराणसी।

दिनांक 2.3.2000

प्रार्थी

Ashok Kumaryadav
2/3/2000

श्रीम. कुमार यादव,
प्रथम अपर सिविल जज,
जू० डि० वाराणसी

2/3/2000

भूमि क्रय/ गृह निर्माण अग्रिम के लिये प्रार्थना पत्र

Key-123

1. नाम :- आशोक कुमार यादव
2. पद का नाम और कार्यालय का पता :- प्रथम अपर सिविल जज जू० डि०
वाराणसी।
3. घर का स्थायी पता :- ग्राम देवारा कदीम, पोस्ट महाराजगंज, जिला आजमगढ़
4. स्थाई पद अथवा मौलिक नियुक्ति- सिविल जज जू० डि०, 10.4.92 से
5. वेतन और भत्ते :-
 1. मूल वेतन-9375/- रु०
 2. स्थानापन्न वेतन-
 3. विशेष वेतन -
 - व्यतिरेक सहित भत्ते- मकान भत्ता 3000, पोशाक भत्ता 300,
आवासीय कार्यालय भत्ता 250/- रु०
6. अपेक्षित अग्रिम धनराशि -3,50,000/- रु० तीन लाख पचास हजार
क-भूमि खरीदने के लिये- भूमि खरीदने व मकान बनवाने
ख-मकान बनवाने के लिये के लिये।
ग-मकान और सालगन भूमि खरीदने के लिये- जी, नहीं।
घ-खरीदे जाने वाले मकान की मरम्मत के लिये- नहीं,
ङ-मकान फिर से बनवाने के लिये- नहीं
च-पिछली अग्रिम धनराशि से बनाये
गये या खरीदे गये मकान की
मरम्मत / विस्तार के लिये- जी, नहीं
7. खरीदे जाने वाले प्लॉट/मकान का पूर्ण विवरण - प्लॉट का करार पंजीकृत
व सही स्थान - होते ही पेश करूंगा।
का करार -
8. यह सिद्ध करने के लिये आपके पास क्या प्रमाण है :- प्लॉट का करार पंजीकृत
कि उक्त भूमि या मकान पर आपने निर्विधिस्वत्वाधिकार होते ही पेश
प्राप्त कर लिया है या कर लेंगे और उसे सरकार के पास करूंगा।
बन्धक रखने में कोई बाधा न पड़ेगी।
9. अग्रिम धनराशि कितने किस्तों में वाह्ये और - एक किस्त में
प्रत्येक किस्त के कब तक पूर्ण रूप से उपयोग कर लिये तीन माह में
जाने की सम्भावना है।

- 10. मकान के निर्माण/क़य/मरम्मत के बाद उसमें:- परिवार के कौन रहेगा 9 स दस्यगण।
- 11. किसी ऐसे अचमानक का विवरण दी जिए:- पैतृक मकान जिसके आप स्वामी या हिस्सेदार हैं। उक्त जो ग्राम-मकान में अपने अंश का मूल्य भी बताइये। देवा राकदीम जिला-आजमगढ़ में है, 10,000/-
- 12. यदि कोई मकान बनवाने, खरीदने या उसकी - मरम्मत इत्यादि कराने के लिये आपने इन जी नहीं, नियमों के अधीन कोई अन्य अग्रिम धनराशि ली हो तो उसका पूर्ण विवरण दी जिए।
- 13. किसी मकान को खरीदने, बनाने; उसकी मरम्मत - कराने या उसे फिर से बनाने के लिये भविष्य निधि प्रत्याहरण से लिये गये स्थायी प्रत्याहरण का इनल विथड्राल का पुरा विवरण दी जिए । नही किया गया है।
- 14. दिनांक :- जी नहीं,
- 15. क़क़ सामा यतः आप कब तक सेवा निवृत्त होये+ सन् 2024 के लगभग
क़ख़ क्या आपका विचार इससे पहले सेवा निवृत्त होने का है9 :- जी नहीं,
- 16. वसूली कब से और किस दर होनी चाहिये- धनराशि प्राप्त होते ही द्ये, अग्रिम किस्त 1/180, पन्द्रह वर्षों में
- 17. क्या आप की पत्नी/ ~~आपके पति~~ राज्य सरकार के कर्मचारी है यदि हाँ तो - जी नहीं
 - 1. उनका नाम, पद नाम तथा कार्यालय का पता अंकित करें - x
 - 2. यदि उन्होंने इन नियमों के अधीन किसी अग्रिम के लिये आवेदनपत्र दिया हो/या अग्रिम लिया हो तो निम्नलिखित विवरण दे। - x
 - 1. आवेदन पत्र देने की तिथि - x
 - 2. लिये गये अग्रिम का प्रयाजन - x
 - 3. लिये गये अग्रिम की राशि - x

M

§4§ अग्रिम से खरीदे गये/ बनाये गये/ मरम्मत कराये गये
 भवन का विवरण § जिसमें स्थान का उल्लेख अवश्य हो। x

18. क्या आपने या आपकी पत्नी ने या आपके पति ने
 अपनी ओर से या किसी अन्यस्क बच्चे की ओर से किसी
 अथ श्रौत / संस्था से गृहनिर्माण अग्रिम / ऋण हेतु प्रार्थनापत्र
 दिया है या कोई ऋण अग्रिम प्राप्त किया है यदि हाँ
 तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए। - जी नहीं,

घोषणा

1. मैं तथ्यनिष्ठता से यह घोषणा करता हूँ कि उपर बतायी गयी विभिन्न मदों के उत्तर में जो सूचना दी गयी है, वह जहाँ तक मेरी जानकारी है और विश्वास में है, सही है।
2. मैंने मकान बनाने आदि के लिये राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम को विनियोग करने वाले नियमों को पढ़लिया है और उसमें दी गयी शर्तों को मानने के लिये सहमत हूँ।
3. मैंने मकान निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम के लिये प्रार्थनापत्र दिया गया है उसे बनवाना अभी प्रारम्भ नहीं किया हूँ।
4. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी / प्रति / अन्यस्क बच्चे का उस नगर / नगर समूहन, टाउन / अरबन का रपारेशन में जहाँ सरकार से अहग्रम लेकर मकान बनाया जाना प्रस्तावित है, पहले से कोई मकान नहीं है।

प्रार्थी का हस्ताक्षर
 Ashok Kumaryadava

पद नाम- प्रथम अपर सिविल जज

१०० डि० वा राणसी
 2/3/2008

विभाग / कार्यालय जिसमें वह नियुक्त
 है- दीवानी न्यायालय वा राणसी

नवीनतम उच्च अधिकारी की सिफारिश
 जो लागू न हो तो उसे काट दी जाए।

अधिकारी के हस्ताक्षर और पद का
 नाम :-

क्रिया ग्रह निर्माण अग्रिम के लिये प्रार्थना पत्र

Recd-123

1. नाम :- आर्य कुमार यादव
2. पद का नाम और कार्यालय का पता :- प्रथम अपर सिविल जज [जू० डि०] वा राणसी।
3. घर का स्थायी पता :- ग्राम देवा रा कदीम, पोस्ट महाराजगंज, जिला आजमगढ़
4. स्थाई पद अथवा मौलिक निष्पत्ति- सिविल जज [जू० डि०], 10.4.92 से
5. वेतन और भत्ते :-
 - ११॥ मूल वेतन-9375/- रु०
 - १२॥ स्थानापन्न वेतन-
 - १३॥ विशेष वेतन -
 - १४॥ च्याँरे सहित भत्ते- मरम्मत भत्ता 3000, पोशाक भत्ता 300, आवासीय कार्यालय भत्ता 250/- रु०
6. अपेक्षित अग्रिम धनराशि -3,50,000/- रु०। तीन लाख पचास हजार १॥
 - क॥ भूमि खरीदने के लिये- भूमि खरीदने व मकान बनवाने के लिये।
 - ख॥ मकान बनवाने के लिये के लिये।
 - ग॥ मकान और सालाना भूमि खरीदने के लिये- जी, नहीं।
 - घ॥ खरीदे जाने वाले मकान की मरम्मत के लिये- नहीं,
 - ङ॥ मकान फिर से बनवाने के लिये- नहीं
 - च॥ पिछली अग्रिम धनराशि से बनाये गये या खरीदे गये मकान की मरम्मत / विस्तार के लिये- जी; नहीं
7. खरीदे जाने वाले प्लॉट/ मकान का पूर्ण विवरण - प्लॉट का करार पत्र होते ही परस कर का के प्लॉट कतरे व सही स्थान -
8. यह सिद्ध करने के लिये आपके पास का प्रमाण है :- प्लॉट कतरे का के प्लॉट कतरे कि उक्त भूमि या मकान पर आपने निष्वाधिस्वत्वाधिकार होते ही प्राप्त कर लिया है या कर लेने और उसे सरकार के पास अरुण। बचक खने में कोई बाधा न पड़ेगी।
9. अग्रिम धनराशि कितने किरतों में वाहिये और - एक किरत में प्रत्येक किरत के कब तक पूर्ण रूप से उपयोग कर लिये तीन माह में जाने की सम्भावना है।



10. मकान के निर्माण/जुम/मरम्मत के बाद उसमें:- पखार के कौन रहेगा 9 सक्षयगण।
11. किसी ऐसे अचानक का विवरण दी जाए:- पैतृक मकान जिसके आप स्वामी या हिस्सेदार हों। उक्त जाँ ग्राम-मकान में अपने अंश का मूल्य भी बताइए। देवा राकदीम जिला-आजमगढ़ में है, 10,000/-
12. यदि कोई मकान बनाने, खरीदने या उसकी - मरम्मत इत्यादि कराने के लिये आपने इन जी नहीं, नियमों के अधीन कोई अन्य अग्रिम धनराशि ली है तो उसका पूर्ण विवरण दी जाए।
13. किसी मकान को खरीदने, बनाने, उसकी मरम्मत - कोई कराने या उसे फिर से बनाने के लिये भविष्य निधि प्रत्याहण से लिये गये स्थायी प्रत्याहण/पुडनल विधाल का नही किया पुरा विवरण दी जाए। गया है।
14. दिनांक :- जी नहीं,
15. कृपया सामान्यतः आप कब तक सेवा निवृत्त होंगे+ सन् 2024 के लगभग
क्या आपका विचार इससे पहले सेवा निवृत्त होने का है?:- जी नहीं,
16. कसूली कब से और किस दर हानी वांछित- धनराशि प्राप्त हो ले ही है, अग्रिम किस्त 1/180, पन्द्रह वर्ष में
17. क्या आप की पत्नी/ ~~आपके पति~~ राज्य सरकार के कर्मचारी है यदि हाँ तो - जी नहीं
1. उनका नाम, पद नाम तथा कार्यालय का पता अंकित करें - *
2. यदि उन्होंने इन नियमों के अधीन किसी अग्रिम के लिये आवेदनपत्र दिया है या अग्रिम लिया है तो निम्नलिखित विवरण दी - *
1. आवेदन पत्र देने की तिथि - *
2. लिये गये अग्रिम का प्रयोजन - *
3. लिये गये अग्रिम की राशि - *

- 148 अग्रिम से खरीदे गये/ बनाये गये/ मरकमत करायें गये
 भवन का विवरण जिसमें स्थान का उल्लेख अवश्य हो।
18. क्या आपने या आपकी पत्नी ने या आपके पति ने
 अपनी और से या किसी अन्यस्क बच्चे की और से किसी
 अथ श्रौत / संस्था से गृहनिर्माण अग्रिम / ऋण हेतु प्रार्थनापत्र
 दिया है या कोई ऋण अग्रिम प्राप्त किया है यदि हाँ
 तो उसका पूर्ण विवरण दी जाए। - जी नहीं.

घोषणा

1. मैं तथ्यक्रिडा से यह घोषणा करता हूँ कि उपर बतायी गयी विभिन्न मदों के उत्तर में जो सूचना दी गयी है, वह जहाँ तक मेरी जानकारी के और विश्वास में है, सही है।
2. मैंने मकान बनाने आदि के लिये राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम को विनियोग करने वाले नियमों को पढ़ लिया है और उसमें दी गयी शर्तों को मानने के लिये सहमत हूँ।
3. मैंने मकान निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम के लिये प्रार्थनापत्र दिया गया है उसे बनाना अभी प्रारम्भ नहीं किया हूँ।
4. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी / ~~पति~~ अन्यस्क बच्चे का उस नगर / नगर समूहन, टाउन / अखन का स्थान में जहाँ सरकार से अग्रिम लेकर मकान बनाया जाना प्रस्तावित है, पहले से कोई मकान नहीं है।

प्रार्थी का हस्ताक्षर

Ashok Kumar Yadav

पद नाम- प्रथम अपर सिविल जेनरल

जुं० डि० वा राणी

2/3/2011

विभाग / कार्यालय जिसमें वह नियुक्त

है- दीवानी न्यायालय वा राणी

नवीनतम उच्च अधिकारी की सिफारिश

जो लागू न हो तो उसे काट दी जाए।

अधिकारी के हस्ताक्षर और पद का

नाम :-

श्रीमती

गृह निर्माण अग्रिम के लिये प्रार्थनापत्र

Re-123

1. नाम :- आशि कुमार या अश
2. पद का नाम और कार्यालय का पता :- प्रथम अवर सिविल जज [पुणे] का राणची।
3. घर का स्थायी पता :- ग्राम देवा रा कदीम, पोस्ट महाराजगी, जिला आजमगढ़
4. स्थाई पद वध्या मालिक निष्पत्ति- सिविल जज [पुणे], 10.4.92 से
5. वेतन और भत्ते :-
 1. मूल वेतन-9375/- रु
 2. स्थापना वेतन-
 3. विलीन वेतन -
 4. ब्याँरे सहित भत्ते- मरम्मत 3000, परिवार भत्ता 300, आवासीय कार्यलय भत्ता 250/- रु
6. अवैधित अग्रिम धनराशि -3,50,000/- रु. तीन लाख पचास हजार।
 - क. भूमि खरीदने के लिये- भूमि खरीदने व मकान बनवाने के लिये।
 - ख. मकान बनवाने के लिये के लिये।
 - ग. मकान आँसो ग-भूमि खरीदने के लिये- जी, नहीं।
 - घ. खरीदे जाने वाले मकान की मरम्मत के लिये- नहीं,
 - ड. मकान फिर से बनवाने के लिये- नहीं
 - च. पिछली अग्रिम धनराशि से बनये गये या खरीदे गये मकान की मरम्मत / विस्तार के लिये- जी, नहीं
7. खरीदे जाने वाले प्लॉट/मकान का पूर्ण विवरण - प्लॉट का कतार पंजीकृत व उसी स्थान - होते ही पैसा कमा।
8. यह सिद्ध करने के लिये आपके पास का प्रमाण है :- प्लॉट कसकर पंजीकृत कि उक्त भूमि या मकान पर आपने निर्वाधस्वत्वाधिकार होते ही पैसा प्राप्त कर लिया है या कर लिये और जो सरकार के पास कमा। व एक स्थान में कोई बाधा न पड़ेगी।
9. अग्रिम धनराशि कितने कितने में वांछिये और - एक कितने में प्रत्येक कितने के कब तक पूर्णपणे उपयोग कर लिये जाने की सम्भावना हो। तीन माह में

h

- 10. मकान के निर्माण/रूप/मरम्मत के बाद जमीन:- परिवार के कान रहेगा 9 सत्यग्रा।
- 11. जिली पैरे अचानक का विवरण दी जिए:- पंतुक मकान जिकके आप स्वामी या छिहैदार हौं। उक्त जौ ग्राम-मकान में अपने जौ का मूल्य भी बताव्यौं। देवा राकरीम जिला-आजमगढ़ में है, 10,000/-
- 12. यदि कोई मकान बनवाने, खरीदने या जमीन - मरम्मत बत्थादि कराने के लिये आपने इन जौ नहीं, नियमों के अधीन कोई अन्य अग्रिम धनराशि ली है तौ उका पूर्ण विवरण दी जिए।
- 13. जिली मकान का खरीदने, बनाने, जमीन मरम्मत - कोई कराने या जौ फिर से बनाने के लिये अग्रिम निधि प्रत्याहण से लिये गये स्थायी प्रत्याहण/पुस्तक विधुज्ञान/ जौ नहीं किया गया है।
- 14. दिनांक :- जौ नहीं,
- 15. [क] सामा यतः आप कब तक देवा निम्नत खोमे+ व नु 2024 के लगभग [ख] का आपका विचार कबसे रहने देवा निम्नत होने का है?:- जौ नहीं,
- 16. जूली कब से और किस दर हौनी बाँटि- धनराशि प्राप्त हो ती ही है, अग्रिम कित्त 1/100, पन्द्रह वर्ष है
- 17. क्या आप की पत्नी/ ~~अपने पति~~ राज्य सरकार के कर्मचारी है यदि हाँ तौ - जौ नहीं
 - [1] उका नाम, पद नाम तथा कार्यालय का पता अंकित करे - .
 - [2] यदि उन्होंने हा नियमों के अधीन जिली अग्रिम के लिये आवेदनपत्र दिया है/या अग्रिम लिया हाँ तौ निम्नलिखित विवरण दी - .
 - [1] आवेदन पत्र देने की तिथि - .
 - [2] लिये गये अग्रिम का प्रयोजन - .
 - [3] लिये गये अग्रिम की राशि - .

Req-23

14] अग्रिम हे वरीदे गये/ बनये गये/ मरकमत कराये गये
 भवन का विवरण ; जिसमें स्थान का उल्लेख अवश्य हो।

18. का आपने या आपकी पर नी नी या आपके पति ने
 अपनी और हे या किसी अज्ञात बच्चे की और हे किसी
 बच कीत / संस्था हे गृहनिर्माण अग्रिम / एक हेतु प्राबंधनपत्र
 दिया हे या कोई एक अग्रिम प्राप्त किया हे यदि हा
 तो उसका पूर्ण विवरण दी जिये। - जी नहीं.

धोखा
 प्रश्न संख्या

1. मैं तथ्यक्रिय हे यह धोखा करता हूँ कि उपर बताया गयी विभिन्न मता के उत्तर में जो सूचना दी गयी है, वह जहाँ तक मेरी जानकारी के अंदर विश्वास में है, सही है।
2. मैंने मकान बनाने अदि के लिये राज्य कर्जा लिफ्टों का लिये जाने वाले अग्रिम को विनियोग करने वाले नियमों को पढ़ लिया हे और उनमें दी गयी शर्तों को मानने के लिये सहमत हूँ।
3. मैंने मकान निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम के लिये प्राबंधनपत्र दिया गया हे जो बनाना ही प्रारम्भ नहीं किया हूँ।
4. मैं धोखा करता हूँ कि मेरी पत्नी/ ~~पति~~ अज्ञात बच्चे का अकार / नगर समूहन, टाउन / बस्तीन, का खाता नम्बर में जहाँ सत्कार हे अग्रिम लेकर मकान बनाने का न प्रस्तावित हे, पहले हे कोई मकान नहीं हे।

प्रार्थी का हस्ताक्षर
Ashok Kumar Yadav

पद नाम- प्रधान अवर विधिक जय

100 डि. वा सप्ली

2/3/2000

विभाग / कार्यालय जिसमें यह प्रिन्सिपल
 हा- दीवानी न्यायालय वा सप्ली

श्री नाम उच्च अधिकाती की सिफारिश
 जो लागू न हो तो जो काट ती जिये।

अधिकाती के हस्ताक्षर और पर का
 नाम :-